

# राजकीय पॉलीटेक्निक औराई, (भदोही)

छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन-पत्र वर्ष 20 - 20

1. छात्र का नाम .....

2. पिता का नाम.....

एवं मोबाइल नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. स्थानीय अभिभावक का नाम .....

एवं मोबाइल नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. स्थानीय पता :.....

.....

स्थायी पता :.....

.....

5. क्या किसी वर्ष छात्रावास आवंटित था :.....

6. निवास स्थान से संस्था की दूरी (कि० मी० में) .....

7. ट्रेड .....सेमेस्टर .....

आवेदन छात्र के हस्ताक्षर

-----

कार्यालय / लेखाकार के प्रयोग के लिए

छात्रावास अधीक्षक, छात्र श्री .....को निर्धारित शुल्क जमा करने  
के उपरान्त छात्रावास आवंटित करें शुल्क रसीद सं० .....दिनांक .....

हस्ताक्षर लेखाकार

प्रधानाचार्य

-:छात्रावास में रहने पर छात्रों द्वारा पालन किये जाने वाले अनुशासन के नियम :-

1. छात्रावास के समस्त नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, छात्रावास में धूम्रपान, गुटखा नशीले पदार्थ का सेवन पूर्णतः वर्जित है ।
2. छात्रावास में हीटर रखना एवं उपयोग करना दण्डनीय है हीटर कमरे में पाए जाने पर छात्रावास को रिक्त करना पड़ेगा ।
3. छात्रावास में बिना छात्रावास अधीक्षक के लिखित अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति/अभिभावक/रिश्तेदार/मित्र छात्र के कमरे में जाने पर उससे छात्रावास से नाम काट दिया जायेगा ।
4. रात्रि में छात्रावास का मुख्यद्वार ग्रीष्मकाल में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक तथा शीतकाल में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक बंद रहेगा । अतः छात्रावास बंद होने के पूर्व छात्रावास में आना अनिवार्य है
5. छात्रावास में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की क्षति, तोड़-फोड़ या चोरी होने पर इसका उत्तरादायित्व छात्रावास कमरों में रहने वाले सम्पूर्ण सम्बन्धित छात्रों का होगा तथा क्षतिपूर्ति अर्थदंड के रूप में वसूल की जाएगी तथा छात्रावास से निष्कासन कर दिया जायेगा ।
6. स्वच्छता के दृष्टिकोण से छात्रावास को स्वच्छ रखने के लिए गैलरियों/दीवारों आदि पर थूकना मना है, जिस भी छात्र के कमरे के सामने यह स्थिति पायी जायेगी उसे ही जिम्मेदार माना जायेगा ।
7. छात्रावास के निजी कमरों को स्वच्छ रखने का उत्तरादायित्व स्वतः कमरों में रहने वाले छात्रों का होगा ।
8. कमरों की दीवारों पर पोस्टर लगाना, कमरे में अनाधिकृति सामग्री रखना वर्जित है ।
9. छात्रावास में मेस व्यवस्था चलने पर मेस में खाना अनिवार्य होगा किसी छात्र को कमरे में भोजन बनाने की अनुमति नहीं होगी ।
10. छात्रावास से अपने घर/कहीं बाहरी यात्रा हेतु जाने पर लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य है ।
11. कमरों में तख्त, मेज, कुर्सी, स्विच बोर्ड, पंखा एवं बल्ब/सी0एफ0एल0 लगा हुआ है । सत्र समाप्ति के उपरान्त समस्त सामान सही होने चाहिए अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र/डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं दिया जायेगा ।
12. मैं उपरोक्त समस्त नियमों का पालन करूंगा ।

पिता के हस्ताक्षर

छात्र का हस्ताक्षर